राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि / नरेगा / संविदा / 2010 जयपुर, दिनांकः 12 APR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत संविदा के पदों के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत दिनांक 07, 08 व 09.04.2010 को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में योजनान्तर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उसमें प्रशिक्षण में आये कार्मिकों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संविदा पर नियोजित कार्मिकों को नियमानुसार मूल मानदेय में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि नहीं दी जा रही है।

इस संबंध में निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिन कार्मिकों की सेवाऐं गत वर्ष गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक रहीं है तथा जिनका अनुबंध 28.02.2011 तक बढा दिया गया हैं। उन कार्मिकों को उनके गुणावगुण के आधार उनकी संविदा राशि में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कर दी जावे। यह आदेश ग्रामरोजगार सहायकों पर लागू नहीं होगे। उनका मानदेय अलग आदेश 12(5)ग्रावि / नरेगा / बजट अनाउसमेन्ट / 2010 दिनांक 07.04.2010 द्वारा रू. 2500 / – प्रतिमाह से 3500 / – रू. प्रतिमाह बढ़ाया जा चुका है।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)